न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शिवपुरी

भागीरथ पुत्र गज्जू सेहरिया
निवासी– ग्राम जालमपुर मजरा रामनगर
तहसील खनियाधाना जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – शिवपुरी म.प्र.
.....अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक भागीरथ पुत्र गज्जू सेहरिया निवासी ग्राम जालमपुर मजरा रामनगर तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 524, 526, 568 को रकवा 1.14 है0 को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

2– यहकि, आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/2016–17/अ–21 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 31.07.2018 से इस आधार पर निरस्त कर दिया। कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर कर्ज की अदायगी की जा सकती है तथा उक्त भूमि भविष्य में भी आवेदक एवं उसके परिवार के भरण पोषण हेतु लाभकारी होगी अतः भूमि विक्रय पर्याप्त आधार ना पाये जाने से आवेदन निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह वर्तमान पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के आधार :

1 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक अपील / 6266 / 2018 / शिवपुरी / भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
14.01.19	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। प्रत्यर्थी अधिवक्ता शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 44 / 2016–17 / अ–21 में पारित आदेश दिनांक 31.7.18 के विरूद्व यह अपील म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। धारा–5 के आवेदन में बताया गया है कि अपीलार्थी को पटवारी द्वारा जानकारी दी जाने पर नकल प्राप्त की उसके बाद अधिवक्ता से संपर्क कर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, अपील में हुई देरी के कारण क्षमा किये जाने का अनुरोध किया गया है। धारा–5 में दर्शाये कारण सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है। 2–प्रकरण संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम जालमपुर प0ह0न0–19 तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 524, 526, 568 रकवा 1.14 है0 को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तत किया गया था। जिसे प्रकरण कमांक 44 / 2016–17 / अ–21 पर पंजीबद्व कर पारित आदेश दिनांक	

31.7.18 से निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

3–अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के एक पक्षीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया हे जबकि उपरोक्त प्रतिवेदन एक पक्षीय होने से साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं है। अतः वह निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि कर्ज की अदायगी कृषि कार्य कर के अदायगी की जा सकती है तथा उक्त भूमि भविष्य में भी आवेदक एवं उसके परिवार के भरण पोषण हेतु लाभकारी होगी। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के पिता के पास ग्राम जालमपुर में ही अन्य भूमि है जिसमें आवेदक का स्वत्व एवं अधिकार है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 31.7.18 निरस्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर भूमि विकय की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

4–शासन के द्वारा तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर का आदेश सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष विकय अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम जालमपुर प0ह0न0–19 तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 524, 526, 568 रकवा 1.14 है0 को विकय करना चाहता है क्यों कि यह भूमि अपीलार्थी द्वरा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 24.1.13 से कय की गई थी। उक्त भूमि शासकीय पटटे की भूमि नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के पास भूमि सर्वे कमांक 511 रकवा 1.850, सर्वे कमांक 512 रकवा 0.330, सर्वे कमांक 513 रकवा 0.100, सर्वे कमांक 514 रकवा 0.330, सर्वे कमांक 515 रकवा 0.090, ग्राम जालमपुर प0ह0न0–19 तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि शेष बचेगी। जिसे वह कृषि योग्य बनाकर अधिक कृषि लाभ अर्जित करेगा। उपरोक्त स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर शिवपुरी द्वारा सद्भाविक विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी को विकय की अनुमति दिये जाने के पश्चात अपीलार्थी भूमिहीन नहीं होगा बल्कि शेष बची भूमि पर कृषि कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का भरण –पोषण कर सकेगा। प्रकरण में आये तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को शासन से भूमि पटटे पर प्राप्त नहीं है,

उसकी स्वअर्जित भूमि है जिसे विक्रय करने में कोई अड़चन नहीं है। अपीलाथी एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है इसलिये वह विक्रय की अनुमति चाहता है, जिससे उसके साथ कोई छलकपट न हो। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने से इंकार नहीं किया जाना चाहिये। अपीलार्थी के स्वअर्जित भूमि की रजिस्ट्री की छाया प्रति संलग्न की गई है, और उसके पास शेष भूमि कृषि हेतु बचती है जिससे वह पालन पोषण कर सकता है। अतः कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा इसे नजर अंदाज किया गया है, जिससे उनका आदेश दिनांक 31.7.18 त्रुटिपूर्ण आदेश है, जिसे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला शिवपुरी का प्रकरण क्रमांक 0044/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.7.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को ग्राम जालमपुर प0ह0न0–19 तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 524, 526, 568 कुल किता 3 कुल रकवा 1.14 है0 विक्रय की अनुमति इस इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि कां मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जावेगी। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य